न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2003/00079 (177/2001) 223 आरटीएक्ट

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़।–अपीलाण्ट

बनाम

1. भरथी बेवा रिसालसिह जाति जाट साकिन झिलोदा तहसील भादरा।
2. सरजीत
3. बलवान
4. रमेश

} पिसरान रिसालसिंह जाति जाटं निवासी झिलोदा तहसील भादरा

5. रामकुमार
6. सोहनलाल
7. नौरंग
8. सूबेसिंह

} पिसरान मौजीराम जाति जाट निवासी झिलोदा तहसील भादरा

9. रणसिंह
10. इन्द्रसिंह
11. वीर सिह

} पिसरान भूराराम जाति जाट निवासी झिलोदा तहसील भादरा

12. सूरजमल पुत्र. अमीलाल जाति जाट निवासी झिलोदा तहसील भादरा हनुमानगढ़।

–रेस्पोडेंट

13.

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 20.09.2002 (21.06.2002) प्र. सं. 76/2002 बअनवानी भरथी आदि बनम रणसिंह आदि द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री राजेन्द्र भुंवाल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांकः–31.07.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक कलक्टर भादरा के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 8 /वादीगण ने एक वाद बाबत इस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर रोही मौजा झिलौदा के खाता संख्या 2/2 में स्थित खसरा नं. 110 की 0.923 है. व खसरा नं. 291 की 4.979 है. व खसरा नं. 118 की 6.110 है. उत्तर की तरफ की 6.012 है. भूमि को सिवाय चक नाकाबिल काश्त भूमि या पायतन की बजाय वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 4 की बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज करने का अनुतोष चाहा जो अधिनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर दावा वादीगण दिनांक 21.06.2002 को डिक्री किया जाकर दिनांक 20.09.2002 को संशोधित आदेश जारी कर वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण 1 ता 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सूरजमल का 1/4 हिस्सा की हद तक डिक्री किया है जिससे व्यथित हेाकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि रेस्पोडेण्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने गांव झिलोदा की जोहड़. पायतन की भूमि 6.012 है0 पर रेस्पोडेण्ट को खातेदारी अधिकार अपीलाधीन निर्णय से दिये गये हैं जबकि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय के तहत सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य रेस्पोडेण्ट ने प्रस्तुत नही किया था कि प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट के पूर्वजों की संवत 2012 से पूर्व की खातेदारी भूमि हो। अधीनस्थ न्यायालय मे कोई खसरा मिलान भी रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रश्नगत भूमि उनके पूर्वजों की भूमि होना सिद्ध नही होता है। अपीलाधीन निर्णय कतई अवैध एवं शून्य आदेश है जिसकी अपील हेतु कोई मियाद निर्धारित नहीं है। अपील गुणागवुण पर स्वीकार योग्य है इसलिए अपील में हुई देरी कन्डोन किये जाते हुए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने का कथन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। देरी का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है इसलिए अपील मियाद बाहर होने का कथन करते हुए अपील खारिज करने का कथन किया। गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट के पूर्वजों की नोतोड़ कर काबिल काश्त बनाई थी तब से लेकर भूमि पर रेस्पोडेण्ट का कब्जा आज दिनांक तक चला आ रहा है। भू प्रबन्ध विभाग ने गलत रूप से गैर मुमकिन अंकित कर दी जबकि यह भूमि रेस्पोडेण्ट की खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 1 का निर्णय वादीगण के हक में सही रूप से निर्णित किया है। इसलिए अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन करते हुए अपने कथनों के समर्थन में 2001 आरआरडी पेज 1105 एचसी, 2009 आरआरटी पेज 488, 2016 आरआरडी पेज 1 व 344, प्रस्तुत करते हुए अपील गुणावगुण पर एवं मियाद बाहर होने के आधार पर खारिज किये जाने का कथन किया।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 21.06.2002 को डिक्री किया गया तत्पश्चात् दिनांक 20.09.2002 को संशोधित आदेश पारित किया गया है जिसकी अपील अपीलाण्ट द्वारा 19.05.2003 को प्रस्तुत की गई है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से अभिलेख में दर्ज कुल 6.012 है0 भूमि जो अभिलेख में नाकाबिल काश्त पायतन दर्ज है पर रेस्पोडेण्ट को खातेदारी अधिकार दिये गये हैं जो कानून नहीं दिये जा सकते। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 16 के अन्तर्गत इस तरह की भूमियों पर खातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु वर्जित किया है। ऐसी स्थिति में अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथ्यों की भिन्नता के कारण इस प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं। अपील में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 8 ने दावा में यह कथन किये हैं कि प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 95 की 40 बीघा 7 बंजर भूमि को नौतोड़ कर काबिल काश्त बनाई थी तब से लेकर यह भूमि उनके कब्जे में चली आ रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के वक्त भूमि उनके कब्जे में होने से उनके नाम खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी। विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलाण्ट ने मिसल बन्दोबस्त प्रदर्श 1 जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है उसमें कॉलम नं. 5 नाम खातेदारान में जोहड़ मजकूर दर्ज है एवं ख. नं. 95/1 मकबूजा रफाआम जोहड़ 43 बीघा 5 बिस्वा दर्ज है। दस्तावेज प्रदर्श 3 प्रस्तुत हुआ है उसमें खसरा नं. 95 की 40 बीघा 5 बिस्वा भीखा वल्द नन्दा काश्तकार गैर मौरूसी दर्ज है। प्रदर्श 5 जमाबंदी खसरा नं. 110, 118, 91 प्रस्तुत हुई है जिसमे सिवाय चक नाकाबिल काश्त पायतन दर्ज है। इस प्रदर्श 1 व 5 में प्रश्नगत भूमि जोहड़ मजकूर अथवा पायतन दर्ज है। प्रश्नगत भूमि किस खसरा नम्बर से बनी है, उसका खसरा मिलान क्षेत्रफल न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिससे पूर्व खसरा नम्बर एवं हाल खसरा नं. 110, 118, 91 का कोई सम्बन्ध होने की पुष्टि नहीं होती है। प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त बाबत कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं हुए। दावा बिना किसी आधार के डिक्री किया गया है। दावा में जो तथ्य अंकित किये हैं उनसे संबंधित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। पुराने कब्जे का हवाला दावा में दिया है परन्तु इस सम्बन्ध में खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की। ऐसी स्थिति में जबकि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अपील से सम्बन्धित भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने हेतु निषेध किया गया है तो अपीलाधीन निर्णय से ऐसी भूमि पर जरिये उदघोषणा रेसपोडेण्ट को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नही किये जा सकते। विचारण न्यायालय के समक्ष दावा वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अंकित कथन उन्हें ही साबित करने चाहिए थे, जो साबित करने में असफल रहते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया निर्णय पूर्णतया निराधार, गलत और गैर कानूनी है विवादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन नाकाबिल काश्त भूमि है जिसकी खातेदारी भूमि पूर्णतया सरसरी तौर पर दी गई है जो खारिज योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विषलेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है उपखण्ड अधिकारी भादरा का निर्णय व डिक्री दिनांक (21.06.2002) संशोधित आदेश दिनांक 20.09.2002 प्रकरण संख्या 76/2002 बअनवानी भरथी आदि बनाम रणसिंह आदि अपास्त किये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णिय शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

31/7/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

बइजलास मूल चन्द आर0ए0एस0

अपील संख्या 2003/00079 (177/2001) 223 आरटीएक्ट

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ।—अपीलाण्ट

बनाम

1. भरथी बेवा रिसालसिह जाति जाट साकिन झिलोदा तहसील भादरा।
2. सरजीत
3. बलवान
4. रमेश

} पिसरान रिसालसिंह जाति जाट निवासी झिलोदा तहसील भादरा

5. रामकुमार
6. सोहनलाल
7. नौरंग
8. सूबेसिंह

} पिसरान मौजीराम जाति जाट निवासी झिलोदा तहसील भादरा

9. रणसिंह
10. इन्द्रसिंह
11. वीर सिह

} पिसरान भूराराम जाति जाट निवासी झिलोदा तहसील भादरा

12. सूरजमल पुत्र. अमीलाल जाति जाट निवासी झिलोदा तहसील भादरा हनुमानगढ।

—रेस्पोडेंट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 20.09.2002 (21.06.2002) प्र. सं. 76/2002 बअनवानी भरथी आदि बनाम रणसिंह आदि द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री राजेन्द्र भुंवाल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है उपखण्ड अधिकारी भादरा का निर्णय व डिक्री दिनांक (21.06.2002) संशोधित आदेश दिनांक 20.09.2002 प्रकरण संख्या 76/2002 बअनवानी भरथी आदि बनाम रणसिंह आदि अपास्त किये जाते हैं।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 31.07.2019 को जारी की गई।

(मूलचंद) आर. ए. एस.

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़